रेफरेंस/एलआर/1968/2003/टोंक
सरकार बनाम सूरजमल

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	एकलपीठ **श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, सदस्य** **उपस्थितः–** 1–श्री रामसुख चौधरी, उपराजकीय अधिवक्ता, प्रार्थी। 2–अप्रार्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित। –– **आदेश दिनांकः2.11.2021** यह रेफरेन्स राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 (संक्षेप में अधिनियम, 1956) की धारा 82 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर, टौंक द्वारा प्रेषित रेफरेन्स प्रकरण संख्या 99/2002 में अनुशंषित कार्यवाही दिनांक 07–02–2003 के संदर्भ में पेश किया गया हैं। 2– रेफरेन्स के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी तहसीलदार, देवली, जिला टौंक ने धारा 82, अधिनियम 1956 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र अतिरिक्त जिला कलक्टर, टौंक के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम साण्डला, तहसील देवली, जिला टौंक के आराजी खसरा नं0 1574 रकबा 0–25 है0 सरकारी खाते में दर्ज था। ग्राम साण्डला की भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 4 व 6 की कार्यवाही होने के बाद अप्रार्थी के पिता श्री लक्ष्मण पुत्र नन्दा मीणा को ग्राम साण्डला की उक्त आराजी पर नामान्तकरण सं0 20 द्वारा सीधे ही खातेदारी अधिकार दिये गये जिसके लिए तहसीलदार सक्षम अधिकारी नहीं था तथा भूमि सीलिंग की थी। अतः प्रश्नगत भूमि को आवंटन करने तथा खातेदारी अधिकार उपखण्ड अधिकारी द्वारा प्रदत्त किये जा सकते हैं किन्तु तहसीलदार देवली ने अपने अधिकर क्षेत्र से परे जाकर अप्रार्थी को मुआवजा भुगतान की नियत से उक्त कार्यवाही की गई है। उक्त आराजी यखसरा नं0 1574 मिसल बन्दोबस्त में सीलिंग सिवायचक भी दर्ज नहीं थी फिर भी सीलिंग का अंकन कर क्षेत्राधिकार से बाहर नामान्तरकरण खोला गया है जो नियमों के विरूद्ध होने से काबिल खारिज योग्य है। अतः नामान्तरकरण संख्या 20 निरस्त कर भूमि पुनः राजकीय भूमि घोषित कर दी जावें एवं रेफरेन्स स्वीकार किया जावे।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	3– अप्रार्थी पक्ष को नोटिस जारी किये गये। बावजूद सूचना के अप्रार्थीगण उपस्थित नहीं। अतः प्रकरण की सुनवाई अप्रार्थी की अनुपस्थित में की गई। 4– विद्वान् उप राजकीय अभिभाषक ने रेफरेन्स मीमों के तथ्यों का उल्लेख करते हुए कथन किया कि प्रश्नगत भूमि का अप्रार्थी के पक्ष में नामान्तरकरण खोलना तहसीलदार के क्षेत्राधिकार में नहीं है। तहसीलदार देवली ने बिना सक्षम आदेश के खातेदारी अधिकार दिये हैं। उनका यह भी कथन है कि समस्त कार्यवाही अप्रार्थी द्वारा वादग्रस्त भूमि का डूब क्षेत्र में आने से उक्त भूमि का मुआवजा प्राप्त करने की नियत से की गई है, जो नियमानुसार निरस्त किया जाकर पुनः राजकीय खाते में अंकित करने का आदेश फरमावें एवं रेफरेंस स्वीकार किया जावें। 5 हमने बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अध्ययन एवं अवलोकन किया। 6– पत्रावली में उपलब्ध नकल खतौनी भू–प्रबन्ध सम्वत् 2046 से 2065 में खसरा नंबर 1574 रकबा 0–35 है0 सिवायचक कृषि योग्य भूमि अंकित है। तहसीलदार देवली ने सिवायचक भूमि पर नामान्तरकरण सं0 20 दिनांक 20–3–1991 स्वीकृत कर अप्रार्थी को सीधे खातेदारी अधिकार दे दिये जबकि प्रश्नगत आराजी का भू–अवाप्ति अधिनियम की धारा 4 का प्रकाशन दिनांक 30–11–1989 तथा धारा 6 का प्रकाशन दिनांक 25–10–1990 को हो चुका था तथा प्रश्नगत भूमि उक्त उद्घोषणा के प्रकाशन के बाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 में वर्णित भूमियें की श्रेणी में आ चुकी थी। नामान्तरकरण संख्या 20 खातेदारी का जो स्वीकृत किया गया है, वह राजस्व कर्मियों से मिली भगत कर कूटरचित है तथा गजट नोटिफिकेशन में वादग्रस्त भूमि के आने पर उसके मुआवजे के लिए अविधिक कार्यवाही की गई है। इसके बावजूद भी तहसीलदार देवली ने दिनांक 20–3–1991 को अप्रार्थी के पिता के पक्ष में बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया है तथा यह समस्त कार्यवाही मुआवजा भुगतान प्राप्त करने के उद्देश्य से की है। इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स काबिल स्वीकार योग्य है। 7– फलस्वरूप, अतिरिक्त जिला कलक्टर, टौंक द्वारा प्रस्तुत रेफरेंस स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी के पक्ष में स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 20 दिनांक	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	20–03–1991 निरस्त किया जाता तथा अप्रार्थी के नाम राजस्व रिकार्ड में हुए अन्य समस्त इन्द्राजात को कलमजन करने का आदेश दिया जाता है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(सुरेन्द्र माहेश्वरी)** **सदस्य**	